(वाद संख्या–**1623/18**)

17-01-2020

प्रसंगाधीन मामला श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पिता–श्री भोला नाथ सिंह, ग्राम–खरौना, पो०–बिलौना, थाना+अंचल–बिहियाँ, जिला–भोजपुर द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में दिये गये परिवाद–पत्र से संबंधित है, जिसमें उनके द्वारा ''फसल क्षति 2016–17 मुआवजा'' में तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहियाँ व जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किये गये धांधली व मुआवजा की राशि का बंदरबांट किये जाने के संबंध में शिकायत की गयी है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्राप्त प्रत्युत्तर के संबंध में पुनः जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रत्युत्तर की मांग की गयी।

उपरोक्त के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त ''फसल क्षति 2016–17 मुआवजा'' की राशि को, नियमानुसार जांच की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर, प्रभावित किसानों के बैंक खाता में हस्तांतरित कर दी गयी है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि संदर्भित परिवाद गलत, दुर्भावना से ग्रसित होकर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा उक्त संदर्भित परिवाद को संचिकास्त करने का अनुरोध भी किया गया है।

अब, जबकि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिवेदनानुसार सभी प्रभावित किसानों को उपरोक्त मुआवजा की राशि उनके बैंक खाता में हस्तांतरित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को आयोग स्तर पर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>